न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 81/019 तारीख रजू 19.02.2019

1 सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली :–प्रार्थी

बनाम

1 प्रेमदेवी पत्नि जस्सूसिह जाति राजपूत निवासी मेहदीपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 12.6.2019

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थी के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है। कि आराजी खसरा नम्बर 397/539 रकबा 0.13, ग्राम मेहदीपुर तहसील टोडाभीम मे स्थित है जिसका प्रार्थी लेण्ड होल्डर है। यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 102 रकबा 0.13 सन् 1947 एवं इसके पश्चात गैरमुमकिन नाला के रूप मे दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्वत 2030 से 33 यह भूमि गणपतसिंह पुत्र उमरावसिंह जाति राजपूत निवासी मेहदीपुर तहसील टोडाभीम के नाम जरिये आवंटन नामान्तकरण संख्या 99 से गैरखातेदारी से खातेदारी मे दर्ज हो गई है। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वार गत खसरा नम्बर 102 का नवीन खसरा नम्बर 397/539 बनाकर हाल जमाबंदी मे अप्रार्थीयान के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील तालाब नदी नाले जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदार अधिकार उदभूत नही होते है। इस प्रकार से यह अंकित हस्तानान्तकरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0सिबिल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 के द्वारा नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.8.1947 मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। को वापिस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुये परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने निर्देश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि खसरा नम्बर 397/539 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम मेहदीपुर को वापस राजकीय भूमि गैरमुमकिन पोखर को दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज पंजीका कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीयान का तामिल विधिवत होने पर नियत दिवस को ना तो स्वयं उपस्थित हुआ और ना ही इस प्लीडर उपस्थित आया। कोई जबाव पेश नही किया गया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, नकल जमाबंदी सम्बत 2010 से 2013,,2070 से 73 मिलान क्षेत्रफल ,हाल जमांबदी खसरा गिरदावरी नक्शा ट्रेस पेश पेश की है।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी सम्बत 2000 से 2019 की खाता सख्या 01 मे आराजी खसरा नम्बर 102 रकवा 5 वीघा 5 विस्वा भूमि गैरमुमकिन नाला के नाम से दर्ज रिकार्ड था जो कि इस आराजी मे से मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2030 से 33 मे परिवर्तन होकर नामान्तकरण संख्या 99 सें गणपतसिंह पुत्र उमरावसिंह जाति राजपूत के नाम आराजी खसरा नम्बर 102 रकवा 10 विस्वा खातेदारी स्वीकृत हुयी थी इसके वाद नवीन खसरा नम्बर 397/539 किस्म बारानी ए हाल जमाबंदी सम्बत 2070 से 73 मे अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड होकर मौके पर काबिज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील,तालब,नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नही होते हैं। जो भी इन्द्राज हुये वो अवैध है। एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य है। जो निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.8.2004 के अपने विस्तृत निर्णय मे उल्लेख किया हैं कि All land shown as drainage channels like nalla,rivers,tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land.Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal.The relevant act and rules must be ammened accordingly. माननीय उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा जनहित याचिका मे पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 397/539रकवा 0.13 है0 ग्राम मेहदीपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली कि भूमि को बापस मुताबिक जमावंदी सम्बत 2010से 2013 के अनुसार राजकीय गैरमुमकिन नाला दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति0 जिला कलक्टर
करौली